हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

19.6.24 प्रार्थी वकील उपस्थित।

विपक्षीगण की सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करने के लिये पारित हो।

पश्चात वास्ते अन्तिम आदेश 30.7.24 को दिया हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

30.7.24 पश्चात दिन हुआ

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी सं. 4 वगैरह के पत्रोत्तर उपस्थित। अतः एकतरफा।

पश्चात वास्ते अन्तिम आदेश। 5.9.24 को दिया हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

5.9.24 पश्चात दिन हुआ

चूंकि मूल वाद कारण हानि के कारण परेशानी से जारी है उक्त हो विपक्षीगण कम अवसर को आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता

फलतः उक्त वाद [illegible] कारण हानि के कारण [illegible] के आदेश दिया जाता हो

पश्चात नियम अनुसार रिकार्ड दर्ज हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:13:12 IST
Reason: SelfAttested